रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 600] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ.669(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों या विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) या सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता-प्राप्त मदरसों या मकतबों (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कूल कहा गया है) में कक्षा I से कक्षा VIII में अध्ययनरत बालकों को कार्य दिवसों के दौरान और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान गर्म पका हुआ भोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराके उनकी पोषणिक स्थिति में सुधार करने हेतु सामान्यतया मध्याह्न भोजन स्कीम के नाम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रशासन करता है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है;

और स्कूलों में प्रस्थापित पूर्वोक्त **मध्याह्न भोजन स्कीम** में भारत की संचित निधि से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम में कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:

1. (1) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्तियों से आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार नामांकन अभिप्राप्त करने का/की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में से स्कीम के कार्यान्वयन का भार साधक संबंधित विभाग से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में से विभाग से यह अपेक्षा होगी कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन उपलब्ध कराएं:

परंतु ऐसे फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात;-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस प्रभाव का परिवचन कि बालक किसी अन्य स्कूल से प्रसुविधा का उपभओग नहीं कर रहा है; और

(ग) माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ बालक के संबंध के सबूत के रूप में कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) समुचित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म का अभिलेख; या

(ii) राशन कार्ड ; या ईसीएचएस कार्ड; या ईएसआईसी कार्ड; या सीजीएचएस कार्ड; या

(iii) फोटोग्राफ सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(iv) पासपोर्ट; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर ऐसे बालक की फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vi) स्कूल की आधिकारिक प्राधिकारिक मुद्रा के अधीन प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा जारी ऐसे छात्र की फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vii) कोई सरकारी कुटम्ब हकदारी कार्ड; या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए विभाग द्वारा मीडिया तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों, तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से ही नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीक आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे नजदीकी स्थानों में आधार के लिए नामांकन करने में समर्थ नहीं होते हैं तो विभाग से जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों या तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों उनके स्कूल के संबंधित पदधारियों के पास या उस प्रयोजन के लिए के वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[मि. सं. 9-6/2016-डेस्क(एमडीएम)]

रीना रे, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O.669(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is administering National Programme of Mid Day Meal in Schools popularly known as Mid Day Meal Scheme *(hereinafter refered to as the Scheme)* to improve nutritional status of children studying in classes I to VIII in government or government aided schools or Special Training Centres (STC) or Madrasas or Maqtabs supported under Sarva Shiksha Abhiyan *(hereinafter referred to as Schools)* by providing them hot cooked meals *(hereinafter referred to as Benefit)* during working days and during summer vacation in drought affected areas which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas the aforesaid Mid Day Meal scheme offered at Schools involves expenditure incurred fully or partly from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals desirous of availing the benefits under the Scheme offered at the Schools are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme offered at the Schools, who does not possess an Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned department incharge of implementation of the Scheme (hereinafter referred to as the Department) in the State Governments or Union territory Administrations is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to such beneficiary benefits under the Scheme shall be given to such beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she/he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her/his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) an undertaking by the parent or legal guardian that the child is not availing the benefit from any other School; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or

(ii) Ration Card; or ECHS Card ; or ESIC Card; or CGHS Card; or

(iii) Bank or Post office passbook with photograph; or

(iv) Passport; or

(v) Certificate of identity having photo of such student issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(vi) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under offical seal of the school; or

(vii) any Government Family Entitlement Card; or any other document specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specially designated by the Department in the State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and seamless benefit under the Scheme to the beneficiaries, the Department in the State Government or Union territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices by the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of their respective School or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 9-6/2016-Desk(MDM)]

RINA RAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ.670(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों या विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) या सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता-प्राप्त मदरसों या मकतबों (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कूल कहा गया है) में कक्षा I से कक्षा VIII में अध्ययनरत बालकों को कार्य दिवसों के दौरान और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान गर्म पका हुआ भोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराके उनकी पोषणिक स्थिति में सुधार करने हेतु सामान्यतया मध्याह्न भोजन स्कीम के नाम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रशासन करता है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है;

और स्कूलों में स्कीम के अधीन मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने के लिए **लगाए गए रसोइया-सह-सहायक** अवैतनिक कर्मकार हैं, जो सामाजिक सेवाओं देने के लिए आगे आते हैं और उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है);

और स्कूलों में स्कीम के अधीन रसोइया-सह-सहायकों को प्रस्थापित पूर्वोक्त प्रसुविधा में भारत की संचित निधि से पूरी तरह या आंशिक रूप से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम में कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:

1. (1) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग करने वाले रसोइया-सह-सहायकों से आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग करने वाले ऐसे रसोइया-सह-सहायकों को जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का/की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई के वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में से स्कीम के कार्यान्वयन का भार साधक संबंधित विभाग से ऐसे रसोइया-सह-सहायकों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं देने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में से विभाग से यह अपेक्षा होगी कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन उपलब्ध कराएं:
परंतु ऐसे रसोइया-सह-सहायकों का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात;-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) राशन कार्ड ; या

(iv) मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vi) किसान फोटो पासबुक; या

(vii) स्कूल की प्राधिकारिक मुद्रा के अधीन स्कूल के प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा जारी रसोइया-सह-सहायक का फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(viii) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु आगे यह और कि दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के विभाग द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन रसोइया-सह-सहायकों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति रसोइया-सह-सहायकों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें विभाग द्वारा मीडिया तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों, तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूल आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से ही नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीक आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन रसोइया-सह-सहायक, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे नजदीकी स्थानों में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में समर्थ नहीं होते हैं तो विभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों या तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और रसोइया-सह-सहायकों से उनके स्कूल के संबंधित पदधारियों के पास या उस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[मि. सं. 9-6/2016-डेस्क(एमडीएम)]

रीना रे, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O.670(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is administering National Programme of Mid Day Meal in Schools popularly known as Mid Day Meal Scheme *(hereinafter refered to as the Scheme)* to improve nutritional status of children studying in classes I to VIII in government or government aided schools or Special Training Centres (STC) or Madrasas or Maqtabs supported under Sarva Shiksha Abhiyan *(hereinafter referred to as Schools)* by providing them hot cooked meals during working days and during summer vacation in drought affected areas which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the Cook-cum-Helpers engaged under the Scheme for preparing and serving Mid Day Meals at Schools are honorary workers who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid honorarium *(hereinafter referred to as the Benefit)*;

And whereas the aforesaid benefit paid to the Cook-cum-Helpers under the Scheme offered at Schools involves expenditure incurred fully or partly from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) *(herein after referred to the said Act)*, the Central Government in the Ministry of Human Resource Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) A Cook-cum-Helper availing the benefits under the Scheme offered at the Schools is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) A Cook-cum-Helper, availing the benefit under the Scheme offered at the Schools, who does not possess an Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned department incharge of implementation of the Scheme (hereinafter referred to as the Department) in the State Governments or Union territory Administrations is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the Cook-Cum-Helpers who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Cook-cum-Helpers, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she/he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her/his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(vi) Kisan Photo passbook; or

(vii) Certificate of identity having photo of such cook-cum-helper issued by a Headmaster or Principal of School under offical seal of the school; or

(viii) any other documents specified by the concerned State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specially designated by the Department in the State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and seamless benefits under the Scheme to the Cook-cum-Helpers the Department in the State Government or Union territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices by the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. shall be given to the Cook-cum-Helpers to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the Cook-cum-Helpers under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the Cook-cum-Helpers can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of their respective School or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 9-6/2016-Desk(MDM)]

RINA RAY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.03 13:46:26 +05'30'